कॉप-28 जलवायु शिखर सम्मेलन के परिणाम

पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) का 28वां सत्र - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का एक वार्षिक सम्मेलन, दुबई में हुआ। उच्च उम्मीदों के साथ कि देश संबोधित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जलवायु संकट वार्ता में शमन प्रयास, अनुकूलन रणनीतियाँ, वित्तपोषण तंत्र और जलवायु कार्रवाई में विकसित देशों बनाम विकासशील देशों की भूमिका शामिल थी। शिखर सम्मेलन कुछ मोर्चों पर प्रगति लेकिन अन्य मोर्चों पर लंबी चुनौतियों के साथ समाप्त हुआ।

हानि एवं क्षति निधि के संबंध में क्या हुआ?

सीओपी-27 में श्लॉस एंड डैमेज (एल एंड डी) फंड बनाने के लिए हुए समझौते के बाद, पिछला वर्ष फंड-प्रबंधन और वित्तपोषण पर बातचीत के लिए समर्पित था। एक ऐतिहासिक निर्णय में फंड को COP-28 में चालू किया गया।

हालाँकि, कुछ देशों द्वारा अब तक केवल $790 मिलियन का ही वादा किया गया है, बावजूद इसके कि प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर से लेकर $400 बिलियन से अधिक की धनराशि की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक अमेरिका ने केवल 17.5 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा विश्व बैंक को फंड की देखरेख और प्रशासन के लिए नामित किया गया था। लेकिन विश्व बैंक के साथ विकासशील देशों के अनुभवों से उत्पन्न चिंताएं कानूनी स्वायत्तता, लचीलेपन और निर्णय लेने के अधिकार के बारे में सवालों और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में फंड की चपलता के बारे में सामान्य संदेह से उत्पन्न हुई हैं। देशों के बीच एक प्रचलित भावना यह भी है कि जलवायु-संबंधी आपदाओं से प्रभावित समुदायों को सीधे धन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अधिमानतः अनुदान के रूप में, न कि ऋण के रूप में।

वैश्विक स्टॉकटेक के बारे में क्या?

इस वर्ष के सीओपी शिखर सम्मेलन में पहला वैश्विक स्टॉकटेक (जीएसटी) देखा गया। यूएनएफसीसीसी के अनुसार, जीएसटी ''देशों और अन्य हितधारकों को यह देखने में सक्षम बनाता है कि वे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कहां प्रगति कर रहे हैं और कहां नहीं''।

COP-28 में देशों द्वारा जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के निर्णय को 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ा गया था। 20 से अधिक देशों ने भी अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने का संकल्प लिया। हालाँकि, जीवाश्म ईंधन से संक्रमण केवल ऊर्जा प्रणालियों तक ही सीमित है। इनका उपयोग प्लास्टिक परिवहन और कृषि क्षेत्रों में जारी रखा जा सकता है। घोषणा में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस जैसे 'संक्रमणकालीन ईंधन' का भी उल्लेख है। लेकिन यह वास्तविक जलवायु न्याय से कम है क्योंकि यह उद्योगों को सामान्य रूप से व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, जबकि घोषणा में त्वरित जलवायु शमन का आह्वान किया गया था, इसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) और कार्बन हटाने जैसी अप्रमाणित और जोखिम भरी प्रौद्योगिकियों का भी उल्लेख किया गया था। पूर्व जीवाश्म ईंधन के उपयोगकर्ताओं को स्रोत पर उत्सर्जन को कैप्चर करके और उन्हें स्थायी रूप से भूमिगत संग्रहीत करके अपने उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम बनाता है।

हरित वित्त के बारे में क्या?

जीएसटी कार्यान्वयन ढांचे का वित्तीय खंड जलवायु वित्त में नेतृत्व करने के लिए विकसित देशों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से पहचानता है। इसमें वित्तीय कमी को दूर करने में निजी क्षेत्र की भूमिका और विकासशील देशों में समान परिवर्तन को सक्षम करने के लिए अनुदान-उन्मुख, रियायती वित्त के पूरक की अनिवार्यता का भी संदर्भ है। फिर भी इस अनुदान-आधारित वित्त को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य संस्थाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी का अभाव है।

COP-28 में विकासशील देशों को टिकाऊ प्रथाओं में परिवर्तन में सहायता करने के लिए नवीन वैश्विक हरित-वित्त तंत्र की स्थापना भी देखी गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड को 3.5 बिलियन डॉलर का नया समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे इसे कमजोर क्षेत्रों में अनुकूलन और शमन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति मिली। अनुकूलन निधि के लिए अतिरिक्त $188 मिलियन का वादा किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा टिकाऊ कृषि और बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच नई साझेदारियाँ बनाई गईं। COP-28 प्रेसीडेंसी ने 2030 तक विश्व स्तर पर $250 बिलियन की अभूतपूर्व राशि जुटाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ एक निवेश पहल ALTÉRRA भी पेश की।

इन प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, उपलब्ध धनराशि अनुकूलन के लिए $194-366 बिलियन की वार्षिक फंडिंग आवश्यकता से काफी कम है।

COP-28 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ COP-28 प्रेसीडेंसी की साझेदारी के माध्यम से COP-28 में जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात की घोषणा अस्तित्व में आई। यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते स्वास्थ्य प्रभावों को पहचानता है और वायु प्रदूषण में कमी और स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने सहित जलवायु कार्रवाई के लाभों को स्वीकार करता है। 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र में बढ़ते जलवायु-स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सामूहिक रूप से 1 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। हालाँकि, भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने का मतलब शीतलन के लिए उपयोग की जाने वाली गैसों से उत्सर्जन में कमी होगी। चूंकि भारत का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा अभी भी बढ़ रहा है, ऐसी प्रतिबद्धता बढ़ती आबादी विशेषकर ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं से समझौता कर सकती है।

COP-26 में लॉन्च की गई वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा को COP-28 में नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन नया सचिवालय बन गया और प्रतिज्ञा के साझेदारों ने मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नए अनुदान में $1 बिलियन से अधिक की घोषणा की। कृषि अपशिष्ट और गैस क्षेत्र। 150 से अधिक देशों ने मीथेन प्रदूषण को कम करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। भारत इस प्रतिज्ञा का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि कम जीवनकाल वाला जीएचजी है।

इसके अलावा भारत में मीथेन उत्सर्जन मुख्य रूप से चावल की खेती और आंतरिक किण्वन (पशुधन पालन) से होता है, जो छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का समर्थन करता है।

टेकअवे क्या हैं?

सीओपी-28 के नतीजों में कई चीजें पहली बार सामने आईं जैसे जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की भूमिका की स्वीकृति और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता। लगभग 134 देश टिकाऊ और लचीली खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा पर भी सहमत हुए।

हालाँकि, विकसित और विकासशील देशों के बीच कुछ चुनौतियों और मतभेदों का समाधान किया जाना बाकी है। विवाद का एक प्रमुख मुद्दा जीवाश्म-ईंधन सब्सिडी था। जबकि विकसित देशों ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की वकालत की, भारत सहित विकासशील देशों ने आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव के कारण चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त करने से इनकार कर दिया।

इस तरह के चरणबद्ध समाप्ति के सामाजिक निहितार्थ भी हैं। कई समुदाय लाभकारी रोजगार के लिए जीवाश्म ईंधन (भारत के मामले में कोयला) पर निर्भर हैं। इसके अलावा आम और विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत और जीएचजी उत्सर्जन के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए विकासशील देशों ने नौकरी में बदलाव और समावेशी विकास की सुविधा के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को बढ़ाने का तर्क दिया।

कुछ अन्य विवादास्पद मुद्दे बाजार तंत्र, वित्तीय संसाधन आवंटन, एल एंड डी फंड के प्रबंधन के लिए एजेंसी के रूप में विश्व बैंक की भूमिका और जलवायु कार्रवाई में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित हैं।

संक्षेप में, COP-28 परिणामों का एक मिश्रित बैग है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण कदम है- जबकि एल एंड डी मेट्रिक्स, फंड प्रबंधन और संवितरण, बाजार तंत्र, जोखिम भरी प्रौद्योगिकियों, कई क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के लिए छोड़ी गई जगह और एक संक्रमणकालीन प्राकृतिक गैस पर मुद्दे हैं। ईंधन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : हानि एवं क्षति निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इसे दुबई में कॉप-28 जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर लॉन्च किया गया।
2. विश्व बैंक शुरुआत में हानि और क्षति निधि की निगरानी करेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the Loss and damage fund-

1. It was launched on the opening day of the COP-28 climate conference in Dubai.
2. The World Bank will initially monitor the Loss and Damage Fund.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: 'हानि एवं क्षति' कोष क्या है?इसके क्रियान्वन से क्या लाभ होने की संभावना है? चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में 'हानि एवं क्षति' कोष की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इस कोष के क्रियान्वन से होने वाले लाभ की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।